

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 355]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 जुलाई 2026 — आषाढ़ 10, शक 1948

गृह विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक—एफ 13-10/दो-गृह/न0से0/2008.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में—

- नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
“(क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो ;”
- नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) में, शब्द “महिला अभ्यर्थी के लिए” के स्थान पर, शब्द “छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय (मूल निवासी) महिला अभ्यर्थियों के लिए” प्रतिस्थापित किया जाये।
- नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ङ) का लोप किया जाये।
- नियम 8 के उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
“(5) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय (मूल) निवासी होना चाहिये।”
- नियम 11 के उप-नियम (3) में, शब्द “महिला अभ्यर्थी के लिए” के स्थान पर, शब्द “छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय (मूल निवासी) महिला अभ्यर्थियों के लिए” प्रतिस्थापित किया जाये।
- नियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
“19. परीक्षा— (1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 03 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा पदस्थ प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की अवधि के लिए स्थापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।”

7. अनुसूची-पाँच के खण्ड 6 में, शब्द “दो” के स्थान पर, शब्द “तीन” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 जून 2026

क्रमांक-एफ 13-10/दो-गृह/न0से0/2008.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 13-10/दो-गृह/न0से0/2008, दिनांक 24-06-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th June 2026

NOTIFICATION

No. F 13-10/Two-Home/H.G./2008.— In exercise of the Powers conferred by the Proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Home Guards Class, III (Executive) Service Recruitment Rules, 2008, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

- For clause (a) of sub-rule (1) of rule 8, the following shall be substituted, namely:-
“(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;”
- In clause (c) of sub-rule (1) of rule 8, for the words “to a women candidate”, the words “for the local (domicile) female candidates of the State of Chhattisgarh” shall be substituted.
- Clause (e) of sub-rule (1) of rule 8 shall be omitted.
- For sub-rule (5) of rule 8, the following shall be substituted, namely :-
“(5) Candidate must be a local (domicile) resident of the State of Chhattisgarh.”
- In sub-rule (3) of rule 11, for the words “for women candidate”, the words “for the local (domicile) female candidates of the State of Chhattisgarh” shall be substituted.
- For rule 19, the following shall be substituted, namely :-
“19. Probation.- (1) Every person recruited directly to the service shall be appointed on the probation for a period of 3 years.
(2) Every person posted by promotion to the service shall be appointed in a officiating capacity for a period of 2 years.”
- In clause 6 of Schedule-V, for the word “two” the word “three” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. CHOUHAN, Deputy Secretary.